ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अर्जुन सिंह कौडल	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्रीमती रिंकू चन्देल	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	स्व0 श्री सोम दत्त	1.4.14 से 27.3.16
2	श्रीमती नीशू देवी	6.4.16 से 28.11.16
	श्री राकेश कुमार	29.11.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.06
2	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.62
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	32.18
5	7	औपचारिकताओं के बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.54
6	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.31
7	9	बिना बिल वाउचर के संदिग्ध भुगतान	0.17

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.8.17 से 24.8.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	03/2015
2015–16	09/2015	01/2016
2016–17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 24.8.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(1) स्व स्त्रोतः— ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	263685.84	103240	366925.84	33211	333714.84
2015—16	333714.84	65890	399604.84	39920	359684.84
2016—17	359684.84	112830	472514.84	35313	437201.84

(2) अनुदानः— ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	1363077.16	2298152	3661229.16	2305751	1355478.16
2015—16	1355478.16	2448264	3803742.16	2179356	1624386.16
2016—17	1624386.16	3818952	5443338.16	2224896	3218442.16

4.1 **बैंक समाधान विवरणीः—**

स्वः स्त्रोत

दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष 437201.84

अनुदानः—

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	3218442.16
बैंक खातों में जमा अनुदान, जिनकी रोकड़ बहियों में प्रविष्टि नहीं की गईः—	
(i) खाता संख्या 3210101361 में दिनांक 30.3.15 को जमा अनुदान	50000
(ii) खाता संख्या 32710100003 में दिनांक 20.3.17 को जमा अनुदान	146921
कुल योग	**3852565**
दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में जमा राशि (संलग्न परिशिष्ट—II)	3846948.06
हस्तगत राशि	शून्य
योग	3846948.06
अन्तर	**₹5616.94**

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा समय पर रोकड़ बहियों के अन्तशेष का बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान न करने के कारण बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों की तुलना में ₹5616.94 कम है। अतः इस अन्तर के कारणों की जाँच करके मिलान करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 21.8.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया। अतः अन्तर की जाँच की जाये अन्यथा इस कम राशि को उचित स्त्रोत बैंक में जमा कराया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त प्रभाव से पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.62 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से जाँच करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹61520 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹32.18 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹3218442 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.54 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹153656 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करें तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 ₹1.31 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹131485 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 बिना बिल/वाउचर ₹0.17 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

चयनित मासों के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अनुसार निम्न मामलों में यद्यपि व्ययों का भुगतान किया गया था, परन्तु ऐसे भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 23.8.2017 जारी की गई परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वाँछित कार्यवाही नहीं की गई। अतः इन वाउचरों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जायें अन्यथा इन भुगतानों की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र0सं0	**वा0सं0/माह**	**विवरण**	**राशि**
1	92 माह 01/16 (सामान्य)	माह 12/15 का चौकीदार का वेतन/पारिश्रमिक	2000
2	97 माह 01/16 (सामान्य)	ग्राम सभा में जलपान का व्यय	3400
3	100 माह 01/16 (सामान्य)	जलरक्षक का पारि	5715
4	52 माह 03/15 (सामान्य)	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेंट के लिए भुगतान	5475
		कुल योग	**16590**

10 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन (Test Check) न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए विकासात्मक कार्यों

की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा (Test Check) सत्यापन करना अनिवार्य है परन्तु पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11 मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण न करवानाः—

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित व्ययों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त हुए अनुदानों द्वारा निजि भूमि पर करवाये गये विकासात्मक कार्यों का ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11060/3/2009 नरेगा दिनांक 1.9. 2009 के अनुसार पंचायत द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति से सामाजिक अंकेक्षण नहीं करवाना गया है। अतः पंचायत द्वारा निजि भूमि पर नरेगा के अन्तर्गत करवाये गए/करवाये जाने वाले सभी विकासात्मक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनियिचत किया जाये।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टरों का रख रखाव, पंचायत द्वारा किया जाना अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

(i) अनुदान रजिस्टर

(ii) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(iii) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(iv) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(v) स्टैम्प रजिस्टर

(vi) लेखन सामग्री रजिस्टर

(vii) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) रजिस्टर

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का, अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया तथा उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

14 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 31 / 2017—खण्ड—1—740—743 दिनाँक29.01.2018
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सुलपुर जबौठ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046